संदर्भ संख्या सीजीटीएमएसई/107 9 जुलाई 2025

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई)- सीजीएस I

परिपत्र सं.254/2025-26

महोदया/प्रिय महोदय,

क्रेडिट गारंटी योजना- I में संशोधन (बैंकों के लिए)

कृपया दिनांक 10 अक्टूबर 2012 के हमारे परिपत्र सं.62 और तृतीय पक्ष गारंटी की परिभाषा के संबंध में योजना दस्तावेज के अध्याय संख्या 1, बिंदु संख्या 2(xv) का संदर्भ लें।

मामले की समीक्षा की गई है और अब उपर्युक्त परिभाषा को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और इसमें यह शामिल किया गया है कि सीजीटीएमएसई के तहत कवर किए गए ऋण खातों के लिए "स्वामित्व/व्यक्तिगत गठन के संबंध में ऋण करार पर हस्ताक्षर करने वाले सह-बाध्यकारी/सह-उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई गारंटियों को तृतीय पक्ष गारंटियों के रूप में नहीं माना जाएगा।"

क्रम संख्या 2 (xv) पर मौजूदा और संशोधित प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2 (xv)	तृतीय पक्ष गारंटी का अर्थ है किसी सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में प्राप्त की गई कोई गारंटी, जो एकल स्वामित्व वाली संस्था के मामले में एकल स्वामी से, साझेदारी/सीमित देयता भागीदारी के मामले में साझेदारों से, ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टियों से, एचयूएफ के मामले में कर्ता और सहदायिकों से तथा निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में प्रमोटर निदेशकों से है।	तृतीय पक्ष गारंटी का अर्थ है किसी सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में प्राप्त की गई कोई गारंटी, **जो एकल-स्वामी/सह-उधारकर्ता/सह-दायित्वकर्ता से ली गई हो , जो एकल-स्वामित्व/व्यक्तिगत संस्था के मामले में ऋण समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता भी हैं,** साझेदारी/सीमित देयता भागीदारी के मामले में भागीदार है, ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी है, एचयूएफ के मामले में कर्ता और सहदायिक तथा निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में प्रमोटर निदेशकों से है।

उपर्युक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू है और पहले से ही दावा किए गए दर्ज मामलों पर भी लागू होगा जिनका निपटान अभी किया जाना है। कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह/-

(एमएसआरके मूर्ति)

उप महाप्रबंधक